भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – †1839
उत्तर देने की तारीख- 01/08/2024

पीएचडी पाठ्यक्रमों में आरक्षण का कार्यान्वयन

†1839. श्री सु. वेंकटेशनः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) विगत दो शैक्षणिक वर्षों के दौरान आईआईटी के पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संस्थान-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा आईआईटी के पीएचडी पाठ्यक्रमों में आरक्षण, यदि कोई हो, का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय 2017-18 से अ.ज.जा. छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वित कर रहा है। एम.फिल/एम.फिल+पीएचडी/पीएचडी के लिए अध्येतावृत्ति के हर साल 750 स्लॉट हैं। छात्रों का चयन स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के आधार पर किया जाता है।

आईआईटी में अ.ज.जा. छात्रों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने आईआईटी/एम्स/आईआईएम/आईआईएसईआर में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए पीजी स्तर पर अंतिम परीक्षा/ग्रेडिंग में न्यूनतम 55% अंकों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। वे बिना किसी योग्यता की आवश्यकता के छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। आईआईटी सहित प्रमुख संस्थानों में पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह उपाय किया गया था। मंत्रालय की अध्येतावृत्ति योजना के तहत आईआईटी में चयनित छात्रों का संस्थान-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	संस्थानों के नाम	आईआईटीएस में पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए चयनित छात्रों की संख्या						
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2022-23	2023-24	कुल योग
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली					1	1*	2
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	4						4
3	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर			4				4
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी			2	3	1		6
5	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद		4					4
6	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर					1		1
7	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पवई, मुंबई, महाराष्ट्र 400076							1
	कुल योग	**4**	**4**	**6**	**3**	**3**	**1**	**21**

• विद्यार्थी को आईआईटी, दिल्ली से अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः अ.ज.जा. वर्ग के कुल 137 और 163 छात्रों को आईआईटी में प्रवेश दिया गया। इसके अलावा, आईआईटी ने अ.जा./अ.ज.जा छात्रों के लिए अपनी पीएचडी सीटों को भरने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें आयु में शिथिलता, न्यूनतम योग्यता अंकों में शिथिलता, अ.जा./अ.ज.जा छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क और सब्सिडी वाले आवेदन शुल्क में छूट, पीएचडी प्रवेश के लिए उपलब्ध आरक्षित श्रेणी की सीटों की संख्या की तुलना में अधिक पीएचडी आवेदकों को सूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षित श्रेणियों के तहत प्रवेश के लिए पर्याप्त आवेदन उपलब्ध हों, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, वेबसाइटों आदि सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर अधिक आवेदन आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार शामिल है।

*****